NYCS

युवा सहकार

www.nycsindia.com

अगस्त 2024, नई दिल्ली

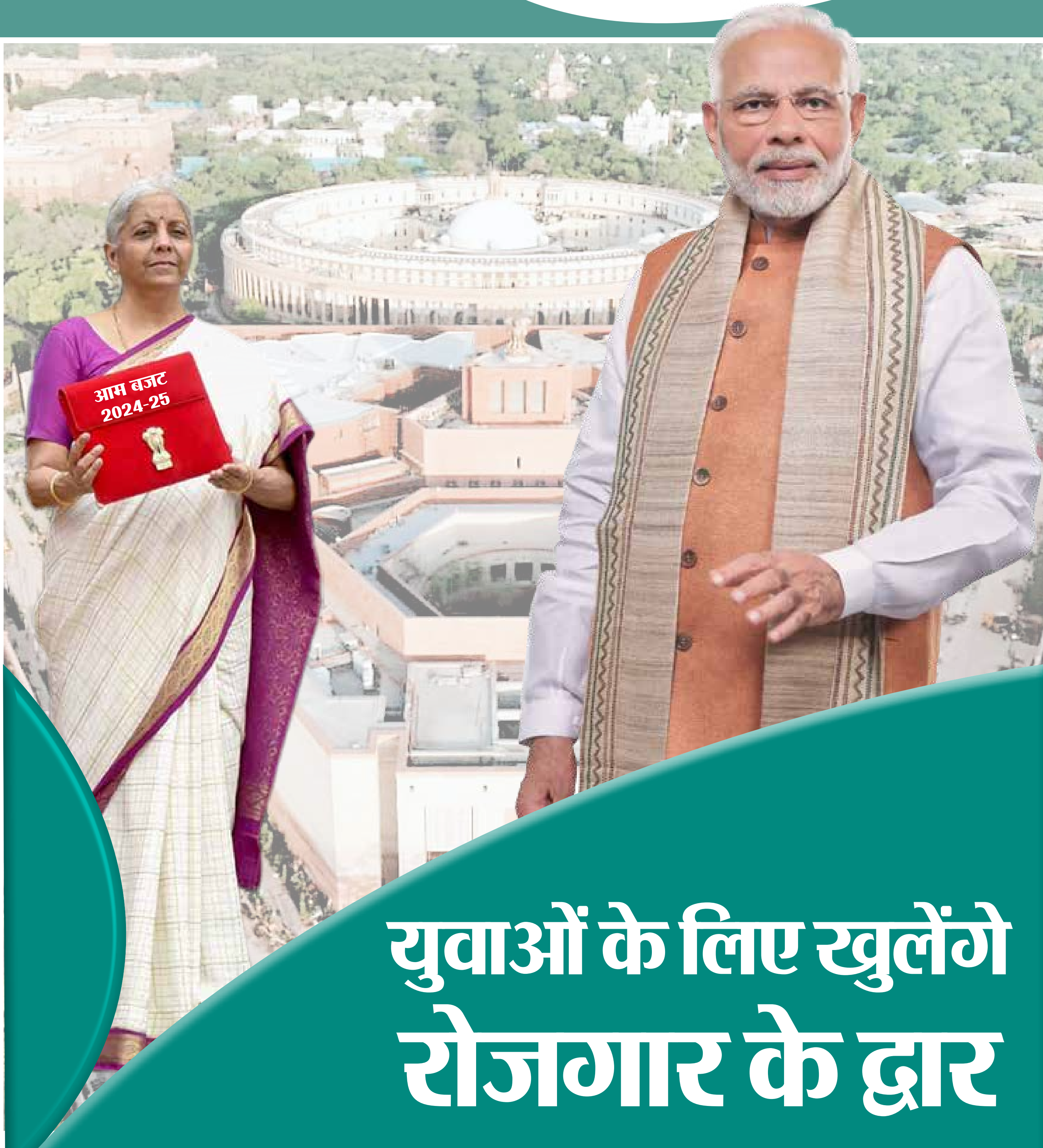

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives, Always!

LIFIC

LINAC-NCDC FISHERIES BUSINESS INCUBATION CENTER (LIFIC)

For Cooperatives as Fisheries Bussiness

Set up by NCDC at LINAC
under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
Department of Fisheries,
Ministry of Fisheries, AH & D, Govt of India

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
National Cooperative Development Corporation
Ministry of Cooperation, Govt of India

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-02, अगस्त-2024

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं पारस ऑफसेट प्रा. लि. कुंडली, हरियाणा द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार राठौड़: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

युवाओं के भविष्य का खाका 04

25 लाख महिलाएं सीखेंगी उद्यमिता के गुर 05

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार 06

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की सौगात 16

केंद्रीय बजट: एक तटस्थ समीक्षा 18

युवाओं की संभावनाओं को अवसर में बदलेगा बजट 20

21 युवाओं को हुनरमंद बना रही एनवाईसीएस

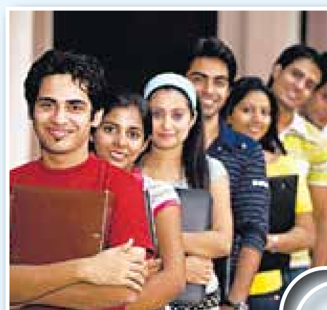

23 युवा भी बना सकते हैं सहकारी समिति, सरल हुए नियम

कृषि सखी: गरीब ग्रामीण युवतियों के रोजगार का बेहतर विकल्प 26

वित्तीय समावेशन से स्वरोजगार के बढ़े अवसर, युवा हो रहे प्रेरित 29

भारत युवाओं का देश है और भारतीय युवाओं में असीम क्षमताएं हैं। जरूरत है उन्हें सही दिशा देने और उनकी क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग करने की। वित्त मंत्री ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार युवा केंद्रित बजट पेश कर स्पष्ट कर दिया है कि जब तक युवाओं की चुनौतियों का समाधान नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा।

युवाओं के भविष्य का खाका

वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता में रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में युवाओं को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई है, इसे इस बात से बखूबी समझा जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरूआत में ही कहा कि शिक्षा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और युवाओं का कौशल विकास करने के लिए पांच नई योजनाओं की घोषणाओं की गई।

केंद्र सरकार की नौ प्राथमिकताएं इस बजट का आधार हैं। इनमें कृषि की उत्पादकता व लचीलापन, रोजगार व कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार एवं अनुसंधान व विकास और अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं। रोजगार और कौशल विकास की प्राथमिकताओं से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जिससे युवाओं की जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि इसके माध्यम से देश का भविष्य संवारने और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

नई सरकार के गठन के बाद पहला बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने रोजगार प्रोत्साहन और कौशल विकास की प्राथमिकताओं के अंतर्गत दो लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का प्रावधान किया है जिससे अगले पांच वर्ष में 4.1 करोड़ युवाओं को नई नौकरियां मिलेंगी। पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार अनुदान राशि के रूप में तीन बराबर किस्तों में 15,000 रुपये देगी जिससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने से 30 लाख युवाओं को फायदा पहुंचेगा। नियोक्ता नौकरियों के नए अवसर पैदा करें, इसके लिए उन्हें भी प्रोत्साहित करने का कदम उठाया गया है। अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती पर नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके माध्यम से 50 लाख नई भर्तियों की योजना है।

इसके अलावा, पांच वर्ष में 20 लाख युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा जिसके लिए 1,000 आईटीआई को उन्नत बनाया जाएगा। देश की शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाने की योजना काफी आकर्षक है। इससे रोजगार संकट के समाधान के साथ ही उद्योगों की अपेक्षाएं भी पूरी होंगी। हालांकि, देखना होगा कि इसे किस रूप में लागू किया जाता है और कंपनियां इसे अमल में लाने में कितनी दिलचस्पी दिखाती हैं।

भारत युवाओं का देश है और भारतीय युवाओं में असीम क्षमताएं हैं। जरूरत है उन्हें सही दिशा देने और उनकी क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग करने की। वित्त मंत्री ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार युवा केंद्रित बजट पेश कर स्पष्ट कर दिया है कि जब तक युवाओं की चुनौतियों का समाधान नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा।

देश के युवाओं के साथ काम करने वाली सबसे बड़ी सहकारी संस्था होने के नाते नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी कोशिश करेगी कि इस बजट का पूरा लाभ युवाओं तक पहुंच पाए।

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू

25 लाख महिलाएं सीखेंगी उद्यमिता के गुर

युवा सहकार टीम

महिला उद्यमिता कार्यक्रम का उद्घाटन करते केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी (बीच में)।

महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरूआत की है। यह कार्यक्रम उन विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया है, जिनका सामना महिलाएं व्यवसाय शुरू करने और उसे बढ़ाने के दौरान करती हैं। युवा महिला उद्यमियों को इसका विशेष फायदा होगा। इस पहल के माध्यम से देशभर में लगभग 25 लाख महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की साझेदारी में शुरू की गई यह पहल वित्तीय अनुदान भी प्रदान करेगी और स्किल इंडिया डिजिटल हब पर अपने उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करेगी। यह महिला उद्यमियों के लिए समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने महिला उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे साथ भागीदारी की है। हमने राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और जनजातीय कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।

इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को महत्वपूर्ण कौशल, ज्ञान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करके उद्यमिता में आने वाली चुनौतियों से निपटना है। इस कार्यक्रम की शुरूआत स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पर कई भाषाओं में उपलब्ध मान्यता प्राप्त स्व-शिक्षण बुनियादी उद्यमिता पाठ्यक्रमों की शुरूआत के साथ की गई है। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने पर प्रतिभागियों को एनएसडीसी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और एनआईईएसबीयूडी से एक सह-ब्रांडेड प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा जिसमें उनके उद्यमशीलता कौशल और दक्षताओं को मान्यता दी जाएगी। इस पहल के माध्यम से देशभर में लगभग 25 लाख महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। उन्हें सफल व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और संसाधन प्रदान किया जाएगा। इस पहल का समापन एक भव्य समारोह में होगा, जहां शीर्ष 50 प्रतियोगी अपने व्यावसायिक विचारों को जूरी के सामने पेश करेंगे। नवाचार एवं उत्कृष्टता को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 10 सबसे सफल प्रतियोगियों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान देगी।

> **महिलाओं को सफल व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और संसाधन प्रदान किया जाएगा।**

एनएसडीसी के साथ मिलकर काम करने की ब्रिटानिया की प्रेरणा के बारे में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ और कार्यकारी निदेशक रजनीत सिंह कोहली ने कहा कि ब्रिटानिया मैरी गोल्ड का विजन महिला उद्यमियों को एक साथ आगे बढ़ने में मदद करना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा बदलाव है।

एनएसडीसी और ब्रिटानिया के बीच साझेदारी एक ऐसे माहौल को विकसित करने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है जहां महिला उद्यमी फल-फूल सकें और भारत की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

> सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इससे रोजगार के करोड़ों नए अवसरों का सृजन होगा। इस बजट से शिक्षा और कौशल विकास को नया आयाम मिलेगा।

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

युवा सहकार टीम

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार युवा केंद्रित बजट पेश कर उन प्राथमिकताओं पर प्रतिबद्धता जताई है जिनमें युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों का उत्थान एवं सशक्तिकरण केंद्र सरकार के फोकस में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चार वर्गों को आधार स्तंभ बताते हुए इनका विकास करने का लक्ष्य तय किया है। इसी की बानगी वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में दिखाई दी। केंद्र सरकार की नौ प्राथमिकताएं इस बजट का आधार हैं। इनमें कृषि की उत्पादकता व लचीलापन, रोजगार व कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार एवं अनुसंधान व विकास और अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं।

युवाओं को सही दिशा देने और उनकी क्षमताओं का उपयोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में करने के लिए प्रधानमंत्री की सोच रही है कि हर युवा को सीखने, कौशल विकास और कुछ नया करने का अवसर मिले तभी हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। उनकी इसी सोच को ध्यान में रखते हुए इस बजट में न सिर्फ अगले पांच साल में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण पर जोर देने का फैसला किया गया है, बल्कि अगले पांच साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है।

यही नहीं, पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए जरूरी इंटर्नशिप को प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी पहली बार आम बजट में किया गया है। देश की शीर्ष 500 कंपनियों में प्रत्येक वर्ष 20 लाख और पांच वर्ष में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करायी जाएगी। रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली इन योजनाओं के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को सरकार द्वारा आर्थिक

> **इस बजट में हमने मुख्य रूप से रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है।**

श्रीमती निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री

सहायता दी जाएगी, बल्कि नियोक्ताओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्री इससे पहले के बजटों में भी रोजगार सृजन को महत्व देती रही हैं। तब पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव) के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रावधान किया गया था जिसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकले। पिछले कुछ वर्षों, खासकर कोविड महामारी के बाद से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही है। इस चुनौती से निपटने की कोशिश सरकार की ओर से की गई मगर कोई ठोस उपाय नहीं होने से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसका असर हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव नतीजों में भी दिखा।

4.1 करोड़ नौकरी, 2 लाख करोड़ रुपये का पैकेज

वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'इस बजट में हमने मुख्य रूप से रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है।' नई सरकार के गठन के बाद पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने पांच योजनाओं और नई पहल के एक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार सृजन, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराना है। इस पर पांच वर्ष की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, 'सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव के लिए तीन योजनाओं को लागू करेगी। ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार रोजगार पाने वाले को पहचान दिलाने में मदद करेंगी। साथ ही रोजगार देने वाले तथा रोजगार प्राप्त करने वाले का सहयोग करेंगी।' इन तीनों योजनाओं का विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है।

पहली नौकरीः रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन की पहली योजना के तहत निजी कंपनियों में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को उनके पहले महीने के वेतन पर सरकारी अनुदान के रूप में 15,000 रुपये की अतिरिक्त राशि देगी। यह राशि तीन समान किस्तों में दी जाएगी जो उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। यह राशि उन्हीं युवाओं को मिलेगी जिनका वेतन एक लाख रुपये मासिक से कम होगा और उनका कर्मचारी भविष्य निधि खाता यानी पीएफ अकाउंट खोला जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि यह योजना पीएफ अकाउंट से लिंक्ड होगी। इससे जहां सरकार को रोजगार के आंकड़े जुटाने में आसानी होगी, वहीं फर्जीवाड़े पर भी सख्ती रहेगी। इस योजना से दो वर्ष में 2.1 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। इस योजना पर 23,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजनः इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो पहली बार रोजगार पाने वाले कामगारों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। योजना के अंतर्गत पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवा और उनके नियोक्ता लाभान्वित होंगे। मुख्य रूप से कर्मचारियों

रोजगार और कौशल विकास की पांच योजनाएं

4.1 करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में रोजगार, कौशल विकास प्रशिक्षण और अन्य अवसरों के लिए केंद्र सरकार की पांच योजनाएंः

- ❑ **पहली बार वालों के लिएः** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता जो तीन किस्तों में दी जाएगी।
- ❑ **विनिर्माण में रोजगार सृजनः** कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना जो नौकरी के पहले चार साल में दोनों के ईपीएफओ योगदान पर निर्भर है।
- ❑ **नौकरी देने वाले को मददः** सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 हजार रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी।
- ❑ कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए केंद्र प्रायोजित नई योजना के तहत अगले पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं का कौशल बढ़ाया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन किया जाएगा।
- ❑ पांच साल में एक करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए नई योजना।

समावेशी विकास का बजटः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बजट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा और विकसित भारत की नींव रखेगा। इस बजट से देश में करोड़ों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यह युवाओं को अनगिनत अवसर देगा। इस बजट से शिक्षा और कौशल विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार प्रोत्साहन और कौशल विकास के लिए जिन योजनाओं की घोषणा की गई है उससे गांव के गरीब युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में काम करने का अवसर मिलेगा और उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'केंद्रीय बजट 2024-25 समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा, यह गांवों के गरीब किसानों को समृद्धि की राह पर ले जाएगा।' 25 करोड़ लोगों के गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने के बाद एक नव-मध्यम वर्ग के उभरने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट उनके सशक्तिकरण में निरंतरता जोड़ता है और रोजगार के अनगिनत अवसर प्रदान करता है। इस बजट से शिक्षा और कौशल विकास को नया आयाम मिलेगा। रोजगार और स्वरोजगार के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे रोजगार के करोड़ों नए अवसरों का सृजन होगा। हर शहर, हर गांव और हर घर में उद्यमी तैयार करने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी वाले कर्ज की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का उल्लेख किया, जिससे छोटे कारोबारियों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और वंचितों को काफी लाभ मिलेगा।

भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने एमएसएमई के देश के मध्यम वर्ग से जुड़े होने और गरीब तबके के लिए रोजगार की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय बजट भारत के स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम के लिए अनेक अवसर लेकर आया है।

बजट अनुमान 2024-25

- ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये
- कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान
- सकल कर प्राप्ति 25.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
- वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान
- सरकार का लक्ष्य वित्तीय घाटे को अगले साल 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है

और नियोक्ताओं दोनों को सीधे तौर पर रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी यानी ईपीएफओ में नियोक्ता और कर्मचारी की राशि के एक हिस्से का भुगतान सरकार करेगी। यदि पहली बार रोजगार पाने वाले कामगार की सेवाएं उसकी नियुक्ति के 12 महीनों के अंदर समाप्त कर दी जाती है, तो नियोक्ता को सब्सिडी लौटानी होगी। पीएफ अंशदान के रूप में दी जाने वाली यह सहायता राशि 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता से अलग होगी। इस पर कुल 52,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

नियोक्ताओं को सहायताः नियोक्ताओं से संबंधित तीसरी योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं को उनके ईपीएफओ

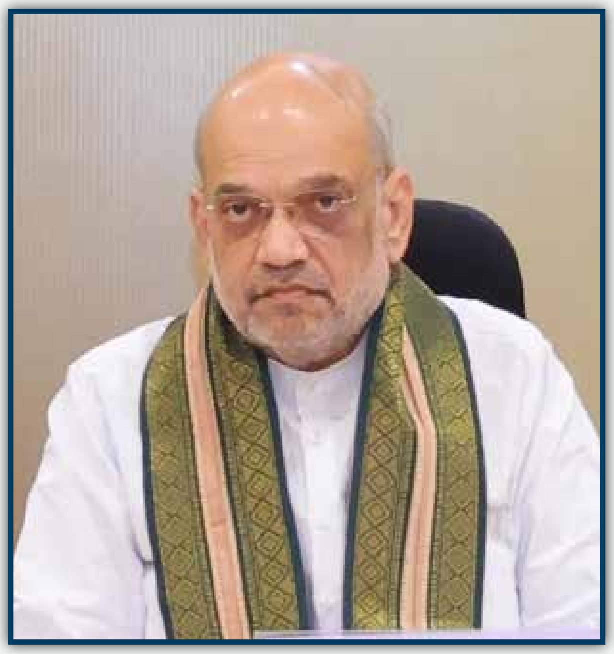

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 2024-25 के बजट को जनहितैषी एवं विकास हितैषी कहा है। उन्होंने कहा, 'बजट 2024-25 श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है। यह बजट युवाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ किसानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार ने इस बजट के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के आत्मबल को मजबूती प्रदान की है।'

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए श्री अमित शाह ने कहा, 'प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहकारी क्षेत्र को निरंतर विस्तार देकर ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बना रहे हैं। बजट में 'राष्ट्रीय सहकारी नीति' के निर्माण की घोषणा देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही, मत्स्य सहकारिता को झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा से नई गति मिलेगी।'

देश की आर्थिक वृद्धि को युवा शक्ति के साथ जोड़ने में इस बजट की अहम भूमिका का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा, 'यह बजट भारत की आर्थिक वृद्धि को देश की युवा शक्ति के साथ जोड़ने के लिए इतिहास में दर्ज किया जाएगा। इसमें 4.10 करोड़ युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने के लिए दो लाख करोड़ रुपए का विशाल कोष उपलब्ध कराया गया है। भविष्य निधि योजना और नए लोगों को प्रोत्साहन देने वाली पहल से 2.90 करोड़ रोजगार सृजित होने की संभावना है। यह भारत के औपचारिक क्षेत्र को रोजगार सृजन इंजन में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी।'

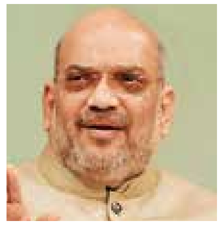

"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहकारी क्षेत्र को निरंतर विस्तार देकर ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बना रहे हैं। बजट में 'राष्ट्रीय सहकारी नीति' के निर्माण की घोषणा देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करने का काम करेगी।"

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

अंशदान के लिए दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की संभावना है। इस योजना के तहत भी पहली बार नौकरी पाने वाले वे युवा ही लाभान्वित होंगे जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक होगा और उनका पहले पीएफ अकाउंट नहीं खुला होगा। इस योजना पर 32,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, इस योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को समझते हुए कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और कार्य योजना तैयार की जाएगी तथा नई संभावनाओं के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

कौशल प्रशिक्षण ऋण

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करने की घोषणा की गई है। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्र लाभान्वित होंगे।

इस योजना के तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा जिसमें 12 महीनों के प्रशिक्षण के साथ ही 5,000 रुपये प्रति महीने भत्ता मिलेगा और सरकार द्वारा 6,000 रुपये एकमुश्त की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 20 लाख और पांच वर्ष में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य है।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उनका कौशल विकास करने के प्रावधानों से लंबे समय बाद ऐसा लगता है कि बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से स्वीकारते हुए इसका समाधान करने के ठोस उपाय किए गए हैं। हालांकि, यहां यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का सारा जिम्मा निजी क्षेत्र पर डाल देना क्या उचित है। सरकारी नौकरियों में काफी पद खाली हैं और उन्हें भरने के लिए कोई घोषणा नहीं होना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है।

एक करोड़ युवा टॉप 500 कंपनियों में करेंगे इंटर्नशिप

पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को रोजगार के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए पहली बार बजटीय प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा जिसमें 12 महीनों के प्रशिक्षण के साथ ही 5,000 रुपये प्रति महीने भत्ता मिलेगा और सरकार द्वारा 6,000 रुपये एकमुश्त की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 20 लाख और पांच वर्ष में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य है। इंटर्नशिप और प्रशिक्षण लागत पर होने वाले कुल खर्च का 10 प्रतिशत हिस्सा कंपनियां अपने सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांस्बिलिटी) फंड से खर्च कर सकती हैं। आमतौर पर बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप उन युवाओं को ही मिल पाती है जो टॉप कॉलेजों या इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी करते हैं। मगर अब सरकार की योजना के तहत उन युवाओं को भी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिल पाएगा जो सामान्य शिक्षण संस्थानों से पढ़े हैं। सरकार का यह कदम काफी क्रांतिकारी है जो युवाओं के करियर के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।

हालांकि, इस योजना में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या कंपनियां इसे इसी रूप में अपनाने को तैयार होंगी? निजी कंपनियां इंटर्नशिप कराती रहती हैं। बड़ी कंपनियां अक्सर अपने इंटर्न को 5,000 रुपये प्रति माह से अधिक का भुगतान भी करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार या अधिकारियों द्वारा कंपनियों पर दबाव डाला गया तो इससे कंपनियों का निवेश प्रभावित होगा और रोजगार की समस्या और बढ़ेगी। इसके अलावा, यह भी माना जा रहा है कि देश के बड़े श्रम बाजार को देखते हुए 5 वर्ष में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने की योजना बहुत छोटी प्रतीत होती है।

सूत्र बताते हैं कि सरकार इंटर्नशिप कराने के लिए कंपनियों का कोटा निर्धारित करने की व्यवस्था कर रही ताकि योजना को सफल बनाया जा सके और कंपनियों को सब्सिडी प्राप्त करने में दिक्कत न हो।■

विद्यार्थियों को मिलेगा 10 लाख तक का लोन

उच्च शिक्षा में आड़े नहीं आएगी पैसे की कमी

वार्षिक ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट के साथ प्रत्येक वर्ष एक लाख विद्यार्थियों को मिलेगा नई योजना का लाभ

ऐसे गरीब विद्यार्थी जो किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा रहे, उन्हें मिलेगा यह लोन

युवा सहकार टीम

पढ़ाई करने वाले हर युवा का सपना होता है कि उच्च शिक्षा हासिल कर वह अपने करियर को ऊंची उड़ान दे, मगर धन की किल्लत की वजह से लाखों युवाओं का यह सपना अधूरा रह जाता है। उच्च शिक्षा हासिल करने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों की राह में अब पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में देश में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों को रियायती ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने की घोषणा की है।

किसे मिलेगा लोन

बजट में उठाए गए इस सकारात्मक कदम का फायदा गरीब और कमजोर वर्ग के उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो सरकार की किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। बजट घोषणा के अनुसार, नई योजना के तहत प्रत्येक वर्ष एक लाख विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन दिया जाएगा और उन्हें इस लोन पर वार्षिक ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए उन्हें ई-वाउचर दिया जाएगा। वर्तमान में विभिन्न बैंक 10-15 प्रतिशत तक ब्याज दर पर एजुकेशन लोन देते हैं। नई योजना में कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें लोन चुकाने के लिए भी सरकार की ओर से सहूलियत दी जाएगी। वे अपनी सुविधा के अनुसार किस्तों में लोन चुका सकेंगे। सरकार की इस पहल से उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में भी तेजी आएगी। सरकार ने वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के जीईआर को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।

हालांकि, अभी भी एजुकेशन लोन मिलता है, लेकिन इसमें कई सारी तकनीकी दिक्कतें हैं जिस कारण ज्यादातर विद्यार्थी लोन नहीं ले पाते हैं। वर्तमान में एजुकेशन लोन लेने पर ब्याज छूट भी नहीं मिलती है। इसके अलावा, उन्हीं संस्थानों में पढ़ाई करने पर एजुकेशन लोन मिलता है जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडेशन काउंसिल (नैक) या नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की रैंकिंग में शामिल होते हैं। नई योजना वर्तमान योजना से अलग होगी।

फिलहाल 51,649 उच्च शैक्षणिक संस्थान देश में हैं। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार, इन संस्थानों में 4.15 करोड़ विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया। इनमें से 7.7 लाख छात्रों ने एजुकेशन लोन लिया। वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न बैंकों ने 17,000 करोड़ रुपये का एजुकेशन लोन वितरित किया।

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में हर वर्ष औसतन 4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। इस लिहाज से देखें तो एजुकेशन लोन की नई योजना का दायरा बहुत सीमित है। जानकारों का कहना है कि प्रत्येक वर्ष रियायती ब्याज दर पर एजुकेशन लोन के लिए 1 लाख विद्यार्थियों का ही चयन किए जाने से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का सरकार का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल होगा। इस संख्या को जितनी जल्दी बढ़ाया जाएगा लक्ष्य को हासिल करना उतना ही आसान होगा।■

एंजल टैक्स हटने से

स्टार्टअप्स में बढ़ेंगी नौकरियां

युवा सहकार टीम

भारत में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स को वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में बड़ी राहत मिली है। भारतीय स्टार्टअप इको सिस्टम को मजबूत करने, उद्यमशिलता की भावना को बढ़ावा देने और इनोवेशन का समर्थन करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है। इससे स्टार्टअप्स को देसी-विदेशी पूंजी जुटाने में मदद तो मिलेगी ही, ये कंपनियां रोजगार के और अधिक नए अवसर पैदा करने में भी सक्षम होंगी। इसका असर नौकरियों के बाजार पर पड़ेगा और युवाओं को ज्यादा रोजगार मिलेगा।

स्टार्टअप्स और निवेशक लंबे समय से इस टैक्स को हटाने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि यह इनोवेशन और फंडिंग में बाधा डालता है। केंद्रीय बजट से पहले उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस टैक्स को हटाने की सिफारिश की थी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाला डीपीआईआईटी ही स्टार्टअप को मान्यता देता है और उन्हें बढ़ावा देने की योजनाएं बनाता है।

भारत दुनिया के उन तीन शीर्ष देशों में शामिल है जहां स्टार्टअप इकोसिस्टम बेहतर है। इसकी वजह से स्टार्टअप्स की सालाना वृद्धि दर 12-15 फीसदी अनुमानित है। युवाओं की ज्यादा आबादी के डेमोग्राफिक लाभ के कारण भारतीय स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। मगर एंजल टैक्स की वजह से उनकी वृद्धि प्रभावित हो रही थी। वर्ष 2012 से लागू इस टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी जिसका भुगतान उन स्टार्टअप्स को करना पड़ता था जो देसी या विदेशों निवेशकों से पूंजी जुटाती थी। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने स्टार्टअप की

> **स्टार्टअप्स भारतीय इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। ये न केवल ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम हैं, बल्कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में भी मददगार हैं।**

संसद में बजट पेश करने के लिए जाने से पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी।

आड़ में मनी लॉड्रिंग की संभावना पर सख्ती बरतने, कंपनियों द्वारा टैक्स से बचने और फंड का दुरुपयोग रोकने के लिए वर्ष 2012 में यह टैक्स लगाया गया था। शुरू में यह स्थानीय निवेशकों के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। हालांकि, तब से अब तक परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं और अब स्टार्टअप्स भारतीय इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। ये न केवल ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम हैं, बल्कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में भी मददगार हैं।

क्या है एंजल टैक्स

इनकम टैक्स एक्ट 56(2)(7बी) के तहत अधिसूचित एंजल टैक्स देश की गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर तब लगाया जाता है जब वह अपने उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर विदेशी निवेशकों को शेयर जारी कर पूंजी जुटाती हैं। बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत पर जुटाई गई अतिरिक्त राशि को उस कंपनी की आमदनी मानी जाती और उस पर 30.9 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाता है। इसे एंजल टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है। इस टैक्स का असर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स पर पड़ रहा था क्योंकि उन्हें अपना कारोबार विस्तार करने के लिए अधिक से अधिक पूंजी की जरूरत होती है। भारी भरकम टैक्स देने की वजह से उनकी वृद्धि प्रभावित हो रही थी। एंजल टैक्स समाप्त होने से स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट का बेहतर प्रवाह सुनिश्चित होगा जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।

नए-नए स्टार्टअप आने से हाल के वर्षों में विदेशी निवेश में तेजी आई है। वर्ष 2023-24 में 70.95 अरब डॉलर का एफडीआई देश में आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरूआत के बाद से देश में स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2016 में देश में जहां सिर्फ 400 स्टार्टअप्स थे, वहीं जुलाई 2024 तक उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1,43,021 पर पहुंच गई है। इनमें 15 लाख से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एंजल टैक्स खत्म किया जाना स्टार्टअप इकोसिस्टम में नई जान फूंकेगा और आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगा।

2016 में देश में जहां सिर्फ 400 स्टार्टअप्स थे, वहीं जुलाई 2024 तक उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1,43,021 पर पहुंच गई है। इनमें 15 लाख से ज्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं।

मुद्रा लोन की सीमा हुई दोगुनी

स्वरोजगार को लगेंगे पंख

बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। साथ हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी।

वित्त मंत्री ने बजट में मुद्रा लोन की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की है। 20 लाख रुपये उन्हें ही मिलेंगे जिन्होंने पहले तरुण कैटेगरी के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन लिया था और उसे चुका दिया है।

युवा सहकार टीम

स्वरोजगार को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में रहा है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में रोजगार के लिए सिर्फ नौकरियों के भरोसे नहीं रहा जा सकता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से उन्नत किया जा सकता है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत स्वरोजगार करने वाले युवाओं और पहले से अपना कारोबार करने वाले छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में मुद्रा लोन की राशि को दोगुना कर 20 लाख रुपये कर दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की है। बिना गारंटी के मिलने वाली कर्ज की राशि को बढ़ाए जाने से युवा न सिर्फ स्वरोजगार के लिए और अधिक प्रेरित होंगे, बल्कि इससे रोजगार के नए-नए अवसर भी पैदा होंगे। पीएम मुद्रा योजना

की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब से यह योजना शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक इस योजना के तहत 27.75 लाख करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए गए हैं। इस योजना से 47 करोड़ से अधिक छोटे और नए उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। छोटे दुकानदारों और अन्य छोटा-छोटा कारोबार करने वाले उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में इस योजना से काफी मदद मिली है।

यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक अभाव की वजह से खुद का कारोबार शुरू नहीं कर पाते। ऐसे लोग इस योजना के तहत कर्ज लेकर खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं और पहले से चल रहे अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं।

किसे मिलेगा इसका फायदा

पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन की तीन कैटेगरी होती है। शिशु, किशोर और तरुण। पहली बार इस लोन के लिए आवेदन करने वाले को शिशु कैटेगरी में रखा जाता है और उन्हें 50 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है। शिशु लोन चुकाने के बाद आवेदक दूसरे वर्ष किशोर लोन के लिए आवेदन दे सकते हैं जिसके तहत 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। किशोर लोन चुकता करने के बाद तीसरे वर्ष तरुण लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। वित्त मंत्री ने बजट में मुद्रा लोन की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की है। 20 लाख रुपये उन्हें ही मिलेंगे जिन्होंने पहले तरुण कैटेगरी के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन लिया था और उसे चुका दिया है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जिन लोगों ने किशोर कैटेगरी के तहत 5 लाख रुपये तक का लोन लिया है और उसे चुका कर तरुण कैटेगरी का लोन लेने की योजना बना रहे हैं उन्हें 10 लाख रुपये ही मिलेंगे।

मुद्रा लोन की राशि दोगुनी करने के केंद्र सरकार के फैसले से केवल स्वरोजगार को ही और अधिक बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भी यह योजना काफी मददगार साबित होने वाली है।■

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की है। बिना गारंटी के मिलने वाली कर्ज की राशि को बढ़ाए जाने से युवा न सिर्फ स्वरोजगार के लिए और अधिक प्रेरित होंगे, बल्कि इससे रोजगार के नए-नए अवसर भी पैदा होंगे।

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की सौगात

मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से बजट में नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की सौगात दी गई है। यह बजट 'अमृत काल' के संकल्पों और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया वित्त वर्ष 2024-25 का बजट व्यापक और विकासोन्मुखी दोनों है। यह बजट 'अमृत काल' के संकल्पों और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कृषि हो या ग्रामीण विकास, इन्वेस्टमेंट हो या इन्फ्रास्ट्रक्चर, हमारी सरकार ने बजट के माध्यम से देश के चौतरफा विकास को एक नई गति देने का प्रयास किया है। यह जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने और सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने का एक अनुकरणीय वित्तीय दस्तावेज है।

यह बजट 'अंत्योदय' की पवित्र भावना को मूर्त रूप देने और विकास और नवाचार की असीम संभावनाओं को उजागर करने वाले 'विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को पूरा करने में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से बजट में नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की सौगात दी गई है।

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करना, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करना और देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना है। सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्द्धन कर सहकारिता क्षेत्र को उसकी क्षमता हासिल करने में सहायता करना और सहकारिता क्षेत्र के लिए नीतिगत, कानूनी और संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना भी इस नीति का मकसद है।

सहकारिता क्षेत्र का प्रभाव देशभर में व्यापक रूप से बढ़ रहा है। सहकारी क्षेत्र के विकास पर ही देश का विकास निर्भर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार सहकारी आंदोलन को निरंतर गति, विस्तार एवं दिशा दे रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इसे इस बात से भी बखूबी समझा जा सकता है कि देश में 29 करोड़ सदस्यों के साथ 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद पिछले तीन वर्षों में सरकार ने दूरगामी महत्व के बहुत से बदलाव किए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति से निश्चय ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास तेज होगा। इससे जमीनी स्तर पर सहकारिता की पैठ मजबूत होने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा।

पिछले तीन वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने और उस माध्यम से किसान कल्याण के लिए अनेक उल्लेखनीय पहलें की हैं। इसके तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थाओं (एपेक्स) तक के बुनियादी ढांचे का विस्तार और देश के सभी सक्रिय सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण हो रहा है। एक लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना सहकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में संचालित हो रही है और इस योजना के क्रियान्वयन

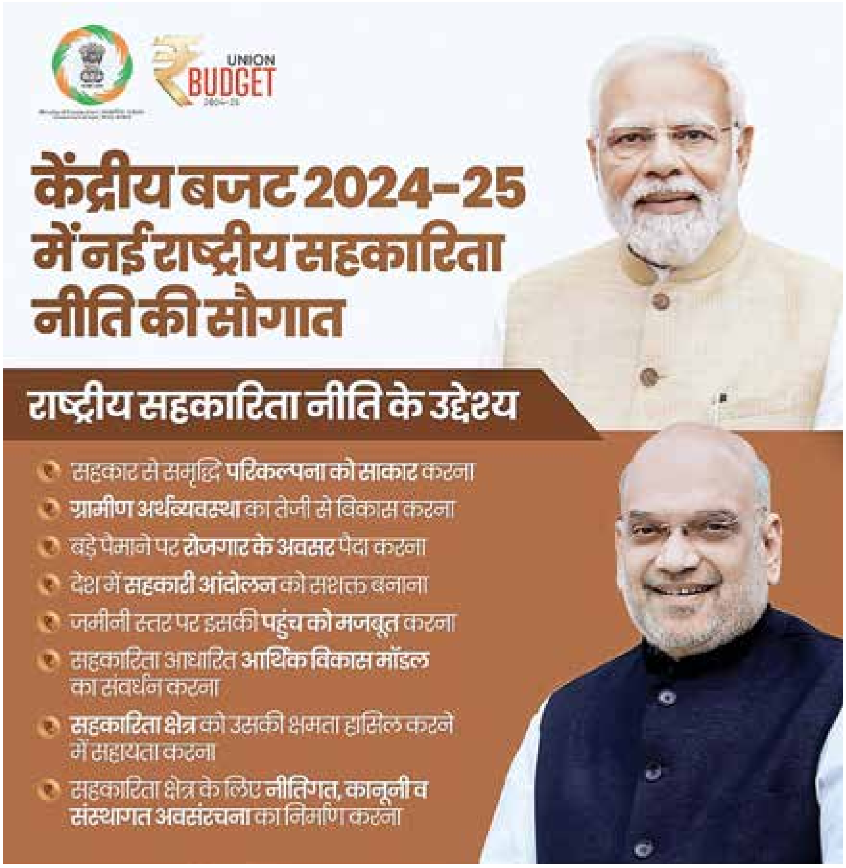

की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना से देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, फसल नुकसान को कम किया जा सकेगा और किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

भारत युवाओं का देश है और सहकारिता क्षेत्र का विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक युवाओं में सहकारिता की भावना नहीं बढ़ेगी। उनमें यह भावना बढ़ाने में वैमनीकॉम (VAMNICOM) का महत्वपूर्ण योगदान है। वैमनीकॉम का शिक्षा कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय के 'सहकार से समृद्धि' के विजन के अनुरूप युवाओं को सहकारिता के क्षेत्र में पेशेवर रूप से दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। उनका कौशल विकास करने के साथ उन्हें रोजगार दिलाने के लिए की गई पांच नई योजनाओं से न सिर्फ बेरोजगारी की चुनौतियों से मजबूती से निपटा जा सकेगा, बल्कि बाजार उपयोगी कुशल श्रम बल तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपने संदेश में कहा है, 'देशभर के युवा साथियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसकी स्पष्ट झलक बजट में देखने को मिली है। विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हम उन्हें अवसर देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।'

सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के साथ ही यह बजट सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ सबसे गरीब लोगों तक पहुंचे। मैं विशेष रूप से प्रत्यक्ष कर प्रणाली में नए प्रावधानों का स्वागत करता हूं जो मध्यम वर्ग को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेंगे। नए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और विश्व का 'ग्रोथ इंजन' बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस जनकल्याण केंद्रित बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई।

देशभर के युवा साथियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसकी स्पष्ट झलक बजट में देखने को मिली है। विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए हम उन्हें अवसर देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

केंद्रीय बजट: एक तटस्थ समीक्षा

प्रकृति पंड्या
डायरेक्टर फाइनेंस, एनवाईसीएस

> बजट में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे युवाओं के भविष्य को संवारा जा सकेगा और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। हालांकि, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कदम उठाना अभी बाकी रह गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को पेश वित्त वर्ष 2024-25 के बजट ने व्यापक चर्चा छेड़ दी है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षी दृष्टि के साथ इस बजट में सभी क्षेत्रों में विभिन्न सुधारों और पहलों की रूपरेखा तैयार की गई है। बजट में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जिससे युवाओं के भविष्य को संवारा जा सकेगा और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। हालांकि, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां कदम उठाना अभी बाकी रह गया है। बजट की विशेषताओं और कमियों एक नजर डालकर इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

विशेषताएं

स्वास्थ्य क्षेत्र का बढ़ा आवंटन: बजट में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने, नए अस्पतालों के निर्माण और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अकेले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए आवंटन 20 प्रतिशत बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर वित्त मंत्री ने रोडवेज, रेलवे और शहरी विकास परियोजनाओं के निर्माण और उन्नयन को रणनीतिक मजबूती प्रदान की है। इस निवेश से एक करोड़ से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होने और आर्थिक विकास को गति मिलने का अनुमान है। ग्रामीण सड़क संपर्क को और सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 30,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

कृषि क्षेत्र को सहायता: उन्नत सिंचाई सुविधाओं, फसल बीमा योजनाओं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि क्षेत्र को 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने किसानों की आय बेहतर करने के लिए प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त, जैविक खेती की पहल के लिए 20,000 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।

रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस: बजट में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें 2025 तक 20 गीगावॉट सौर क्षमता स्थापित करने की योजना और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन शामिल है। बजट में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

टेक्नोलॉजी और इनोवेशन: सरकार का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। इनके लिए वित्त मंत्री ने 40,000 करोड़ रुपये रखे हैं। सरकार की नई पहल, राष्ट्रीय एआई मिशन को 10,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं जिससे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा एवं कौशल विकास: शिक्षा क्षेत्र की फंडिंग 10 प्रतिशत बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 25,000 करोड़ और

नई छात्रवृत्ति और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। बजट का लक्ष्य विभिन्न उद्योगों में कौशल विकास की कमी को दूर करने के लिए देश भर में 100 नए कौशल केंद्र स्थापित करना भी है।

समाज कल्याण योजनाएं: महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1.75 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 10,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

कमियां

टैक्स सुधारों में स्पष्टता का अभाव: बजट में किए गए विभिन्न सुधार प्रावधानों के बावजूद वित्त मंत्री कुछ मामलों में अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पायी हैं जिनमें प्रमुख है टैक्स सुधारों में स्पष्टता का अभाव। पर्याप्त बदलावों की अपेक्षाओं के बावजूद बजट में टैक्स नीति में व्यापक बदलाव का अभाव है। कॉरपोरेट टैक्स 25 प्रतिशत पर बना हुआ है और इंडिविजुअल टैक्स ब्रैकेट में न्यूनतम समायोजन किया गया है। इसमें टैक्सपेयर्स को भविष्य के टैक्स दायित्वों के बारे में अनिश्चित बना दिया गया है।

एमएसएमई के लिए अपर्याप्त सहायता: बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह अपर्याप्त है। एमएसएमई के लिए कर्ज तक पहुंच और बाजार विस्तार जैसी चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। इसे देखते हुए यह बजटीय समर्थन कम है।

पर्यटन क्षेत्र की उपेक्षा: कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इस क्षेत्र के लिए केवल 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण उद्योग को फिर से जीवंत करने के लिए बजट में किसी व्यापक योजना का प्रावधान नहीं किया गया है। उद्योग विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने और घरेलू यात्रा को पुनर्जीवित करने के लिए और अधिक मजबूत उपाय बजट में किए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

पर्यावरण संबंधी चिंताएं: कार्बन उत्सर्जन को कम करने लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस प्रशंसनीय है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए समग्र दृष्टिकोण का बजट में अभाव है। वनों की कटाई, प्रदूषण और वन्यजीव संरक्षण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक मजबूत नीतियों और धन की आवश्यकता है। वनीकरण और जैव विविधता परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपये के आवंटन को अपर्याप्त माना जा रहा है।

शहरी आवास और रियल एस्टेट: शहरी आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र पर भी बजट में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किफायती आवास के लिए 25,000 करोड़ रुपये के आवंटन के बावजूद नियामक चुनौतियों का समाधान करने और रियल एस्टेट में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं किए गए हैं।

बजट का लक्ष्य विभिन्न उद्योगों में कौशल विकास की कमी को दूर करने के लिए देश भर में 100 नए कौशल केंद्र स्थापित करना भी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच: हालांकि, स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में वृद्धि की गई है, फिर भी ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है। शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच असमानता एक गंभीर मुद्दा है। ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सीमित ध्यान: टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर सरकार का पूरा ध्यान है, लेकिन डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बजट कम पड़ गया है। डिजिटल युग में समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता में सुधार महत्वपूर्ण है, मगर इसके लिए केवल 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बजट में हेल्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जो सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है। मगर टैक्स सुधार, एमएसएमई को समर्थन और व्यापक पर्यावरण रणनीतियों जैसे क्षेत्रों पर बजट में फोकस नहीं किया जाना चिंता का विषय है। जैसे-जैसे भारत आर्थिक सुधार और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, सरकार के लिए इन कमियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बजट का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे।■

युवाओं की संभावनाओं को अवसर में बदलेगा बजट

अभिषेक कृष्ण दुबे
सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी
भारतीय जनता युवा मोर्चा

> सातवीं बार बजट पेश करने वाली केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जिस प्रकार बजट के जरिये युवा शक्ति को दिशा देने का कार्य किया है, वह अभूतपूर्व है।

भारत विकासशील देशों की पंक्ति से निकलकर विकसित देशों की कतार में खड़ा हो रहा है। देश की इस यात्रा में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के कार्यबल में युवाओं का अनुपात किसी भी दूसरे देश के मुकाबले सर्वाधिक है। देश की आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु वालों का है। ऐसे में अर्थतंत्र ही नहीं, मानवीय जीवन के सर्वांगीण उत्थान से जुड़े सभी प्रतिमानों को गढ़ने में भारतीय युवा अपनी वैश्विक भूमिका निर्वहन के लिए तत्पर हैं।

23 जुलाई को प्रस्तुत किया गया बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। सातवीं बार बजट पेश करने वाली केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जिस प्रकार बजट के जरिये युवा शक्ति को दिशा देने का कार्य किया है, वह अभूतपूर्व है। युवाओं के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। देश के 4 करोड़ से अधिक युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया है। पांच साल में एक करोड़ युवाओं के लिए शीर्ष पांच सौ कंपनियों में कौशल विकास का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

मोदी सरकार ने उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों एवं उद्योग जगत के सहयोग से प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की है। इसी तरह मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जा रहा है। इससे सरकार की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा देने की तैयारी है। ऐसे युवा जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जाना स्वागत योग्य है। इससे युवा अपने करियर को नई उड़ान दे सकेंगे।

देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बजट में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से महिला हॉस्टल और बाल गृह संचालित किए जाने की घोषणा की गई है। इससे श्रम बाजार में प्रवेश करने वाली कामकाजी युवा महिलाओं को काफी राहत मिलेगी। इसी तरह, इस बजट में मुद्रा लोन की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी गई है। मुद्रा लोन जैसी महात्वाकांक्षी योजना के प्राथमिक लाभार्थी युवा, विशेषकर नवाचार आधारित स्टार्टअप हैं। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत पहले ही युवाओं को अपना स्टार्टअप या उद्यम खड़ा करने के लिए कई रियायतें प्रदान की है। इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमारे गांव और शहर संपन्न होंगे।

पहली नौकरी लगने पर ईपीएफओ में पंजीयन होते ही कर्मचारी को पांच-पांच हजार रुपये की तीन किस्त यानी 15 हजार रुपये सरकार देने जा रही है। इस योजना से देश के 2.10 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार की इस पहल से रोजगार बाजार में प्रवेश करते ही युवाओं को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। खेलों में देश की प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल मंत्रालय को 3,442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन मोदी सरकार की युवा हितैषी पहल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि देश अगले कुछ वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनकर विकसित देशों की पंक्ति में अग्रणी स्थान पर खड़ा हो। इस लक्ष्य के संधान के लिए निश्चित ही युवा सबसे अहम वाहक साबित होंगे। बजट इस दिशा में एक सार्थक उत्प्रेरक का कार्य करेगा।

युवाओं को हुनरमंद बना रही एनवाईसीएस

युवा सहकार टीम

सहकारिता में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कॉप कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रमों (एलडीपी) का आयोजन करती है। कॉप कनेक्ट के माध्यम से कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में सहकारिता के विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) सहकारी गतिविधियों और सामाजिक आर्थिक विकास में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य के साथ काम कर रही है।

एनवाईसीएस का लक्ष्य उद्यमिता, सहकारिता और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देकर भारत के युवाओं को सशक्त बनाना है। साथ ही, एनवाईसीएस युवाओं के लिए एक ऐसा सहयोगात्मक मंच तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके माध्यम से युवा सक्रिय रूप से ऐसी गतिविधियों में हिस्सा ले सकें, जो सामाजिक आर्थिक विकास के साथ ही राष्ट्र और समुदायों के विकास में भी भागीदार हो सकें और युवाओं की आजीविका का स्तर भी बेहतर बन सके। कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास आदि के अलावा एनवाईसीएस सामाजिक समानता और समृद्धि के समान अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) कौशल विकास की ऐसी सक्रिय गतिविधियों को संचालित करता है जिसका उद्देश्य युवाओं में रोजगारपरक शिक्षा और उद्यमिता विकास कौशल को बढ़ावा देना है।

एनवाईसीएस के कौशल विकास कार्यक्रमों को समर्थन देने की पहल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने की है। आईजीएल अपनी सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) गतिविधि के तहत यह समर्थन दे रही है। इस सहयोग का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करके

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की सीएसआर पहल के तहत एनवाईसीएस द्वारा हरियाणा के रेवाड़ी में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। यह परियोजना स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

> **कौशल विकास प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया जाता है, जिससे वह सतत आजीविका को बनाए रखने और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के साथ ही समुदायों के विकास में भी योगदान करते हैं।**

उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस पहल में व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा और अन्य कौशल विकास गतिविधियां शामिल हैं। यह उद्योग की जरूरतों के अनुरूप हैं जिससे युवाओं के लिए सार्थक रोजगार की संभावना बनती है। यह साझेदारी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की सीएसआर पहल के तहत एनवाईसीएस द्वारा हरियाणा के रेवाड़ी में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। यह परियोजना स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य व्यावहारिक और बाजार के लिए उपयोगी कौशल पर ध्यान केंद्रित करके स्थानीय युवाओं को हुनरमंद बनाना है ताकि उन्हें रोजगार या स्वरोजगार करने लायक बनाया जा सके।

आईजीएल की सीएसआर गतिविधियों के तहत कौशल विकास प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया जाता है, जिससे वह सतत आजीविका को बनाए रखने और समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के साथ ही समुदायों के विकास में भी योगदान करते हैं। सीएसआर में पारंपरिक लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली गतिविधियां शामिल नहीं होती। इसके विपरीत सीएसआर के माध्यम से सामाजिक मुद्दों जैसे पर्यावरण स्थिरता, सामाजिक समानता और समुदायिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है।

एनवाईसीएस और आईजीएल की यह साझेदारी सामाजिक आर्थिक विकास और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आईजीएल ने कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कई सीएसआर गतिविधियां शुरू की हैं। इन सभी नवीन प्रयासों के जरिये वंचित वर्गों के लिए रोजगार क्षमता को बढ़ावा और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।■

युवा भी बना सकते हैं सहकारी समिति, सरल हुए नियम

कोऑपरेटिव सेक्टर में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसके तौर तरीके आसान कर दिए गए हैं। इसकी वजह से सहकारी समितियां में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और ये रोजगार का एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रही हैं।

सहकारी समितियों को दी जाने वाली सुविधाओं का दायरा बढ़ रहा

सदस्यों के साथ मिलकर छोटी पूंजी से शुरू होता है काम

सरकार की योजनाओं से मिल सकती है बड़ी सहायता

युवा सहकार टीम

देश को पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी समितियों के योगदान के महत्व को समझते हुए सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसके नियमों को आसान बना दिया गया है। मॉडल बायलॉज के माध्यम से प्राथमिक सहकारी समितियों के कामकाज का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से इन समितियों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और ये रोजगार का एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रही हैं। वर्ष 2021 में देश में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही सहकारी गतिविधियों में तेजी आ गई।

सहकारी संस्थाओं को टैक्स में छूट मिलना, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) को व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल करना और कृषि विकास में कृषि उत्पादक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका ने सहकारिता में युवाओं के विश्वास को बढ़ाया है। सामूहिकता के साथ सहकार की शुरूआत होती है, जिसका गठन

सहकारी समितियों का पंजीकरण और गठन दो तरीके से किया जा सकता है। सोसायटी के गठन की जरूरत के आधार पर समूह या समुदाय के लोग खुद ही संबंधित एजेंसी, रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर जिला सहकारी यूनियन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सहकारिता विभाग या सहकारिता राज्य एजेंसी लोगों को सहकारी समिति के गठन के लिए प्रेरित करती हैं।

कोई भी कर सकता है। छोटी तथा एक समान पूंजी के साथ शुरू की गई सहकारी समितियों में सभी मालिक होते है और सहकारी समिति के विकास में सभी की एक समान जवाबदेही भी होती है। इसलिए इस बात की समझ होना बहुत जरूरी है कि सहकारी समितियों का संस्थागत ढांचा किस तरह का होता है और सदस्यों के क्या अधिकार होते हैं?

कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन

सहकारी समितियों का पंजीकरण और गठन दो तरीके से किया जा सकता है। सोसायटी के गठन की जरूरत के आधार पर समूह या समुदाय के लोग खुद ही संबंधित एजेंसी, रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर जिला सहकारी यूनियन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसी स्थिति जहां पर किसी तरह की सहकारी समिति के पंजीकरण की जरूरत हो वहां सहकारिता विभाग या सहकारिता राज्य एजेंसी लोगों को सहकारी समिति के गठन के लिए प्रेरित करती हैं और रजिस्ट्रेशन के दिशानिर्देश और जरूरी कागज आदि की जानकारी देते हैं।

पंजीकरण के चरण

पहला चरण– समाज की व्यवहार कुशलता का आकलन– समूह सदस्यों, कार्य करने वाली एजेंसी या संगठन से जुड़े सभी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि उन्हें सहकारी समिति से संबंधित निम्नांकित दिशा निदेर्शों की जानकारी हो–

- जिस भी उद्देश्य से सहकारी समिति का गठन किया जा रहा हो या फिर किया जाना है उससे संबंधित सभी भौगौलिक, सामाजिक आर्थिक, कृषि संबंधी जानकारी पूरी कर ली जाए।
- सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध कर लिए जाएं
- क्षेत्र में विभिन्न तरह की सहकारी समिति या किसी भी संगठन की गतिविधि चल रही हो तो उसका पता होना चाहिए।
- क्षेत्र के शैक्षणिक व प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी होना
- एक कुशल नेतृत्व का उपलब्ध होना
- प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पता होना
- समाज की संभावित व्यावहारिकता

दूसरा चरण– तीन प्रमुख सिद्धांत, जिसे यदि उचित माना जाए– पहले दौरे या निरीक्षण के दौरान संगठनकर्ता को प्रभावकारी या फिर नेतृत्व की क्षमता वाले लोगों की पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए।

- समिति के गठन से पहले ऐसे लोगों से संपर्क करें और समिति के गठन की योजना के बारे में उन्हें भी बताएं।
- सहकारी समिति के गठन संबंधी बायलॉज या दिशा निर्देश की कापी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के पास भी छोड़ दें जिससे वह अन्य संभावित सदस्यों या गांव के लोगों से इस विषय पर बात कर सकें।
- गांव या ब्लॉक के अन्य लोगों से भी मुलाकात की जा सकती है, जिससे उन्हें सहकारी समिति के फायदों के बारे में बताया जा सके।

- गांव या संबंधित क्षेत्र में एक औपचारिक बैठक का आयोजन करें, जहां प्रमोटर, लीडर या अधिकारी सहकारी समिति के उद्देश्य और उसकी गतिविधियों के बारे में बता सकें, इसके साथ ही सहकारी समिति से संबंधी गांव वालों के प्रश्नों का जवाब भी दिया जा सके।

दूसरी औपचारिक मुलाकात में समिति का गठन करने वाले व्यक्ति अपनी बात और गठन के उद्देश्य आदि जानकारी को दोहरा सकते हैं, इन सभी बैठकों की एक सूची बनाई जानी चाहिए। इसके बाद समूह या समिति में किन इच्छुक लोगों को शामिल करना है, इसका चयन किया जाता है जिसे प्री रजिस्ट्रेशन मीटिंग भी कहा जाता है। इसी दौरान सहकारी समिति के गठन की पहल करने वाला व्यक्ति सहकारी समिति के गठन में आने वाले खर्च की जानकारी सदस्यों के साथ साझा कर सकता है और उनकी इच्छानुसार भागीदार बनने को कह सकता है ताकि समिति के गठन में होने वाले खर्च का भुगतान किया जा सके।

तीसरी और अंतिम अहम बैठक

- पहली और दूसरी बैठक में उपस्थित सदस्यों की हाजिरी या उपस्थिति दर्ज करना।
- पंजीकरण से पहले मीटिंग आयोजित करना जिसमें समिति के सदस्य बनने योग्य व्यक्तियों को ही शामिल किया जाए।
- विस्तृत रूप से दोबारा प्रस्तावित सहकारी समिति के गठन के दिशा निर्देश समझाइए।
- इसके बाद पंजीकरण के लिए जरूरी फॉर्म को भरे और इसे सहकारिता एक्ट या फिर राज्य सहकारी या संबंधित एजेंसी को भेज दें।
- कुछ राज्यों में रजिस्ट्रार को सदस्यों की उचित जानकारी देना जरूरी होता है, इसलिए सभी प्रतिनिधियों का बैठक में उपस्थित होना जरूरी होता है।
- इन सभी दस्तावेजों को तैयार करने के साथ ही एक कार्यवाही सूची तैयार करें।

अंतरिम बोर्ड का चयन

- सोसायटी के गठन और इसके पंजीकरण के लिए आरसीएस (रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी) से अनुरोध
- दिशा निर्देशों का पालन करें
- अंतरिम बोर्ड जिसमें निदेशक, सचिव और कोषाध्यक्ष आदि का चुनाव
- समिति के लिए अनुमोदन या प्रमोटर सदस्य, शेयर पूंजी की हिस्सेदारी अनुसूचित या कोऑपरेटिव बैंक में जमा कराना।
- एक बैंक खाते का संचालन शुरू करना।
- उपनियमों में कटिंग या ओवर राइटिंग पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्तियों का नाम देना।
- अधिनियम, उपनियमों या रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित संकल्प
- पूरी कार्यवाही को चेयरमैन, सचिव या प्रमोटर द्वारा हस्ताक्षर

जरूरी दस्तावेज

- सोसायटी या रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत किया जाने वाला प्रार्थना पत्र, दिशानिर्देश के अनुसार भरा गया प्रस्तावित फार्म, इसके साथ ही सहकारी समिति पंजीकरण संबंधी उपनियमों का बायलॉज जैसा कि राज्यों के नियमों में बताया गया हो।
- समिति के दो या तीन प्रमोटर्स सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर की गई उपनियमों की तीन से चार प्रतियां, जिनकी निर्धारित शुल्क भी हो सकता है।
- उपनियम सहकारी कानून, नियम, राज्य नीति आदि के प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं हैं।
- शेयर के पैसे जमा करने के संबंध में बैंक से प्रमाण पत्र।
- शेयर अंशदान आदि की राशि के साथ सभी सदस्यों की सूची (पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल नहीं है)।■

भारत में सहकारिता का विकास

- सहकारी साख समिति अधिनियम, 1904 - आरंभिक स्थापना
- सहकारी समिति अधिनियम, 1912
- सहकारिता पर मैक्लेगन समिति, 1914
- भारत सरकार अधिनियम, 1919
- बहु-ईकाई सहकारी समिति अधिनियम, 1942
- सहकारी योजना समिति (1945)
- अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति (1951)
- नाबार्ड अधिनियम, 1981
- बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984
- मॉडल सहकारी समिति अधिनियम, 1990
- राष्ट्रीय सहकारिता नीति (2002)
- बहु-उद्देश्यीय राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002
- कम्पनी संशोधन अधिनियम, 2002
- एन.सी.डी.सी संशोधन अधिनियम, 2002
- केन्द्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, 2021

कृषि सखी: गरीब ग्रामीण युवतियों के रोजगार का बेहतर विकल्प

कृषि सखी योजना का मुख्य मकसद ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब युवतियों एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। इसके अलावा, इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास और सुधार करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

गांवों की ऐसी युवतियां जो गरीबी के कारण मेहनत-मजदूरी करने को मजबूर हैं और उनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है, उनके लिए यह योजना रोजगार का बेहतर विकल्प है।

युवा सहकार टीम

कृषि क्षेत्र में सुधार लाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके की गरीब युवतियों एवं महिलाओं को कृषि से जुड़े विभिन्न कार्यों में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 56 दिन का विशेष प्रशिक्षण हासिल करने के बाद युवतियां कृषि उद्यमी बनकर कृषि कार्यों में किसानों की मदद कर रही हैं। गांवों की ऐसी युवतियां जो गरीबी के कारण मेहनत-मजदूरी करने को मजबूर हैं और उनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है, उनके लिए यह योजना रोजगार का बेहतर विकल्प है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक साल पहले कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। कृषि

सखी योजना का मुख्य मकसद ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। इसके अलावा, इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र का विकास और सुधार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को कृषि से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे किसानों को सही सलाह देकर फसल उत्पादन में उनकी सहायता कर सकें। इसके बदले में महिलाओं को 60-80 हजार रुपये सालाना कमाई करने का अवसर मिल रहा है।

इस योजना के माध्यम से 2 करोड़ गरीब ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के पहले चरण में सरकार ने 90 हजार कृषि सखियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभागों द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को विभिन्न कृषि कार्यों जैसे भूमि की तैयारी से लेकर फसल काटने तक कृषि पारिस्थितिक अभ्यास, बीज बैंक की स्थापना और मैनेजमेंट, किसान फील्ड स्कूलों का आयोजन, मृदा स्वास्थ्य, एकीकृत कृषि प्रणाली, पशुधन प्रबंधन, बायो इनपुट की तैयारी, उपयोग एवं बायो इनपुट दुकानों की स्थापना और बुनियादी संचार कौशल के बारे में बताया जाता है। प्रशिक्षण के बाद कृषि सखियों की एक दक्षता परीक्षा होती है जिसमें उतीर्ण होने के बाद उन्हें पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है। प्रमाण-पत्र मिलने के बाद वे सरकार द्वारा निर्धारित संसाधन शुल्क पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की गतिविधियां करने में सक्षम हो जाती हैं। कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक 34,000 से अधिक कृषि सखियों को पैरा एक्सटेंशन कर्मी के रूप में प्रमाणित किया गया है।

क्या है कृषि सखी योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशभर की 3 करोड़ महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी का एक आयाम है कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम। कृषि सखी दरअसल वह महिला है जो कृषि से जुड़े विभिन्न कार्यों जैसे मृदा परीक्षण, बीज प्रसंस्करण, जैविक खाद निर्माण, फसल संरक्षण, कटाई आदि

इस योजना के माध्यम से 2 करोड़ गरीब ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के पहले चरण में सरकार ने 90 हजार कृषि सखियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभागों द्वारा दिया जाता है।

कृषि सखी योजना के लाभ

- कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु किसानों को कृषि संबंधी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण इलाके की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर कृषि सखी के रूप में तैयार किया जाना।
- किसानों का सहयोग कर कृषि सखी सालाना 60-80 हजार रुपये की आय अर्जित करने में सक्षम होंगी। उन्हें प्रति माह संसाधन शुल्क प्रदान किया जाएगा।
- कृषि सखी खुद भी कृषि कार्य करके आमदनी प्राप्त कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
- योजना के प्रथम चरण में 90 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य, 12 राज्यों में लागू हुई योजना।
- प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को विभिन्न कृषि कार्यों जैसे बीज बैंक की स्थापना और मैनेजमेंट, किसान फील्ड स्कूलों का आयोजन, मृदा स्वास्थ्य, एकीकृत कृषि प्रणाली, पशुधन प्रबंधन और बुनियादी संचार कौशल के बारे में बताया जाता है।
- इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा जिससे उनके कौशल का विकास होगा और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

कार्यों में किसानों की सहायता करती है जिसके बदले में उन्हें हर साल औसतन 60,000 रुपये से 80,000 रुपये की आमदनी सुनिश्चित होती है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। दोनों मंत्रालयों ने इसके लिए 30 अगस्त, 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

कृषि सखी का क्या है काम

कृषि सखी का कार्य किसानों को सलाह देना है ताकि किसान कृषि क्षेत्र में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर अधिक उत्पादन कर सकें और अधिक कमाई कर पाएं। साथ ही, कृषि सखी खुद भी कृषि शुरू कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। हर वह गरीब महिला जो यह ट्रेनिंग पूरी करती है उन्हें सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो उनकी योग्यता का प्रमाण होता है। प्रशिक्षण के बाद कृषि सखी को किसानों को आधुनिक तौर तरीकों से खेती करने के बारे में जानकारी देने के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही उन्हें फसल उत्पादन बढ़ाने के बारे में भी बताना होता है। किसानों को कृषि सखी के रूप में कृषि विशेषज्ञता मिलेगी और साथ ही ग्रामीण रोजगार में महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध होगा।

इन राज्यों में शुरू हुई योजना

कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मेघालय और ओडिशा शामिल हैं। जिन राज्यों में योजना का प्रथम चरण चल रहा है वहां इसके सफल क्रियान्वयन के बाद सरकार अन्य राज्यों में भी इसे लागू करेगी।

कौन बन सकती हैं कृषि सखी

प्रथम चरण में जिन 12 राज्यों में यह योजना लागू हुई है वहां की महिलाओं को कृषि सखी का प्रशिक्षण लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता पूरी करनी होगी:

- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली 18 वर्ष से अधिक की युवतियों एवं महिलाओं को कृषि सखी के रूप में चुना जाएगा।
- गरीब और निम्न आय वर्ग की महिलाएं ही इस योजना के लिए आवेदन करने की पात्र हैं।
- अभी केवल उन्हीं राज्यों की महिलाएं (मूल निवासी) इसके लिए आवेदन कर सकती हैं जहां ये लागू हुई है।
- कृषि सखी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि होना जरूरी है।

कैसे करें आवेदन?

कृषि सखी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कृषि विभाग कार्यालय जाएं और इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को भरकर मांगे गए दस्तावेज संलग्न करें और कार्यालय में जमा कर दें। यदि कोई महिला इस योजना का लाभ लेने के योग्य पाई जाती है तो आपको कृषि सखी प्रशिक्षण के लिए चयनित कर लिया जाएगा।

वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन की योजना के तहत 30 कृषि सखियां लोकल रिसोर्स पर्सन (LRP) के रूप में काम कर रही हैं। ये हर महीने एक बार प्रत्येक खेत पर जाकर कृषि गतिविधियों की निगरानी करती हैं और किसानों की समस्याओं को समझ कर उनका समाधान निकालती हैं। वे किसानों को प्रशिक्षित करने, उनके सामने आने वाली चुनौतियों, किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) के कामकाज एवं मार्केटिंग गतिविधियों को समझने और किसान डायरी रखने के लिए हर हफ्ते किसान हित समूह की बैठकें भी आयोजित करती हैं। इन गतिविधियों के लिए उन्हें प्रति माह 4,500 रुपये संसाधन शुल्क प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन से स्वरोजगार के बढ़े अवसर युवा हो रहे प्रेरित

केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशी योजनाओं ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। वंचित तबके के युवा भी इसका फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने में सहकारी समितियां और मददगार साबित हो सकती हैं।

वित्तीय समावेशन समावेशी विकास का आवश्यक हिस्सा है। विकास के इस सिद्धांत में सरकारी नीतियों में वित्तीय क्षेत्रों की समावेशी प्रवृत्तियों को अलग से स्थान दिया गया है।

युवा सहकार टीम

विकास की मुख्यधारा में सभी लोगों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता का लाभ समाज के निर्धन व्यक्ति तक पहुंचे और वह भी आर्थिक विकास में भागीदार बनें, इसके लिए वित्तीय समावेशन एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इसके जरिये यह सुनिशचित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभों से वंचित न रहे। वित्तीय समावेश के माध्यम से युवाओं में स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। सरकार की कई योजनाओं जैसे जनधन खाता, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि योजना, ग्रामीण कामगार जैसी योजनाओं ने इसमें उनकी मदद की है। वे स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

वित्तीय समावेशन समावेशी विकास का आवश्यक हिस्सा है। विकास के इस सिद्धांत में सरकारी नीतियों में वित्तीय क्षेत्रों की समावेशी प्रवृत्तियों को अलग से स्थान दिया गया है। सामाजिक बदलाव की लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया में समाज के वंचित लोगों को शामिल करना समावेशी विकास का प्रथम चरण है। वित्तीय समावेशन को आम तौर पर

एनवाईसीएस युवाओं, महिलाओं और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आय अर्जित करने के अवसर शुरू करके देश के सतत विकास के लिए तत्पर है। अपनी सूक्ष्म वित्त सहायक कंपनी जननिधि के माध्यम से यह ग्रामीण क्षेत्रों में आसान बैंकिंग सेवाओं और किफायती ऋण तक पहुंच के साथ-साथ मुफ्त सलाह देने तक में सक्रिय रूप से काम करती है।

वंचित और निम्न आय समूहों के लिए किफायती लागत पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में वित्तीय समावेशन का मूल साधन बैंक में बचत या चालू खाता होना है। समावेशी विकास हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने के लिए वित्तीय समावेशन की पहल जैसे तत्काल ऋण सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, वित्तीय सलाहकार सेवाएं आदि का दायरा बढ़ाना महत्वपूर्ण है। लोगों में किफायती कर्ज तक पहुंच, पैसे बचाने की आदत विकसित करना और वित्तीय सलाह लेना वित्तीय समावेशन के सबसे लाभकारी पहलू हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंक से वंचित लोगों को जनधन खाते के माध्यम से जोड़कर वित्तीय समावेशन करने की पहल की है।

देश में वित्तीय समावेशन की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए वित्तीय समावेशन तैयार करने की अनिवार्य योजना बनाई है और 2000 से अधिक लोगों की आबादी वाले सभी गांवों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। इससे न केवल लोग सशक्त होंगे, बल्कि लोगों की बाजार और व्यावसायिक भागीदारी भी बढ़ेगी। वित्तीय समावेशन मॉडल को प्रारंभिक चरण में कम से कम स्वावलंबी और लंबे समय में लाभ कमाने वाला बनाया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रदान की जाने वाली सेवा किफायती कीमत पर होनी चाहिए। इस काम में सहकारी समितियां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

वित्तीय समावेशन और सहकारिता

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने टिप्पणी की थी कि सहकारिता द्वारा आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को आगे बढ़ाना संभव है। भारत जैसे विकासशील देशों के अनुभवों ने इस क्षेत्र को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए सहकारी बैंकिंग की आवश्यकता की पुष्टि की है। ये मूल स्तर के संगठन हैं जिनसे सभी परिचित हैं क्योंकि ये देश के प्रत्येक गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से संचालित करते हैं। सहकारी समितियां सरकारों द्वारा समर्थित कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। यह कानूनी समर्थन ही उनकी मुख्य ताकत है। उन्हें टैक्स, स्टांप शुल्क आदि से छूट दी गई है। इसके अलावा उन्हें सरकारों द्वारा तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक सहायता की पेशकश की जाती है। यह सहकारी व्यवसायों को अपने व्यवसाय संचालन के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।

सहकारी समितियां किसानों को सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराने और ग्रामीण परिदृश्य से साहूकारों और कर्ज की अन्य गैर-संस्थागत आपूर्ति की भूमिका को नगण्य करने में लगी हुई हैं। सहकारी समितियों का विकास वित्तीय समावेशन के माध्यम से तेजी से बढ़ रहा है। इसके विपरीत सहकारी बैंक और माइक्रो फाइनेंसर वास्तव में क्षेत्र में आगे बढ़कर लोगों से मिलकर उनकी जरूरतों और परिस्थितियों का विश्लेषण कर नवीन उत्पाद और सेवाएं पेश कर सकते हैं। सहकारी समितियां गरीब पुरुषों और महिलाओं को बेहतर एकीकृत वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।

कुशल वित्तीय समावेशन के लिए किए जाने वाले उपाय

सहकारी समितियों को अपनी कार्य संरचना का विश्लेषण करना चाहिए और बैंक रहित आबादी तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए। लक्षित समूहों की पहचान करना और उनकी बैंकिंग सेवाओं की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना सहकारी समितियों की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। बैंकिंग तक पहुंच अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को खोलने की चाबी हो सकती है। बैंकिंग और माइक्रो क्रेडिट सेवाएं लोगों में बचत की आदत डालने में मदद कर सकती है। बचाए गए पैसे किसी व्यवसाय के लिए पूंजी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जीवन स्तर को बढ़ा सकता है।

सहकारी समितियां स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ियों आदि के साथ गठजोड़ कर सकती हैं ताकि आर्थिक रूप से वंचित लोग आसानी से लाभ उठा सकें। सहकारी समितियों को भौगोलिक रूप से दूरदराज के क्षेत्रों को भी शामिल करने का प्रयास करना चाहिए जहां बैंकों की शाखाएं बहुत कम संख्या में हैं और लोग वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं।■

KRIBHCO
Cooperative and beyond...

Did You Know?

2025 is the International Year of Cooperatives!

The UN declared 2025 as a year to celebrate cooperatives around the world. Cooperatives are businesses owned by their members, focusing on both profit and the needs of their communities. They play a big role in sustainable development and achieving the UN's Sustainable Development Goals by 2030.

There will be a year-long celebration to raise awareness about cooperatives and their positive impact.

NANO TECHNOLOGY
NANO UREA & DAP
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
IFFCO
KISAN
DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO
UREA
PLUS
IFFCO
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO
DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
Less Cost, More Profits
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"